प्रेषक,

कुमार हर्ष,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 21 अगस्त, 2024

विषय: सहायक निदेशक (प्रशासन) के पदनाम से पद सृजित कर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 190/ना0उ0नि0/11जी-98/2023 दिनांक 09 अक्टूबर, 2023 एवं पत्र संख्या: 323/ना0उ0नि0/11जी-98/2023 दिनांक 29 जनवरी, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सहायक निदेशक (प्रशासन) के पद नाम से 01 पद सृजित करते हुए इस पद को राजस्व विभाग के तहसीलदार पदधारक की प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति/तैनाती किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल नागरिक उड्डयन निदेशालय में सहायक निदेशक (प्रशासन) के पदनाम से 01 पद सृजित कर राजस्व विभाग से प्रतिनियुक्ति के आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन तहसीलदार को नियुक्ति किए जाने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0	पदनाम	भर्ती का स्रोत	अर्हता	भर्ती की प्रक्रिया	नियुक्ति का प्रकार	पे-बैण्ड/ग्रेड पे/मैट्रिक्स लेवल/वेतनमान	सृजित किए जाने वाले पद की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.	सहायक निदेशक (प्रशासन)	राजस्व विभाग से प्रतिनियुक्ति के आधार पर	राजस्व विभाग द्वारा तहसीलदार के पद की निर्धारित अर्हता	राजस्व विभाग से प्रतिनियुक्ति	राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर नियुक्त नियमित सेवा के अधिकारी	मैट्रिक लेवल-10 (रू0 56100-177500) ग्रेड पे0-5400/-	01

(1) पद सृजन हेतु न्यूनतम वास्तविक कार्यात्मक आवश्यकता, वित्तीय औचित्य एवं मितव्ययता के समन्वय सिद्वान्तों तथा विभागीय स्थिति के दृष्टिगत पद पर भर्ती/नियुक्ति की जायेगी तथा सामान्य वित्तीय अनुशासन एवं प्रबन्धन का ध्यान रखा जायेगा।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पदनाम, वेतनमान, शैक्षिक अर्हता संबंधित संवर्ग हेतु प्रख्यापित विभागीय संवर्गीय नियमावलियों में प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप है।

(3) कार्मिक विभाग, वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 तथा उ0प्र0 मूल नियमावली, 1942 में "प्रतिनियुक्ति" के सम्बन्ध में प्रावधानित नियमो एवं व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

3- उपर्युक्त सृजित होने वाले पद पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-38 राजस्व लेखा शीर्षक ''2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय'' के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाई के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-7-73-X-2024-25-दिनांक: 14-8-2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
कुमार हर्ष
विशेष सचिव।

संख्या-69/2024/1299(1)/छप्पन-2024-58/2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
3. महालेखाकार-प्रथम (आडिट/लेखा), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/राजस्व अनुभाग-13/कार्मिक अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
6. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कुमार हर्ष
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।